पटना : राज्य सरकार ने एक अप्रैल से राइट टू सर्विस एक्ट को लागू करने का फैसला किया है. यह फैसला बुधवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया.

76 में 45 सुझाव स्वीकृत

बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव व इस विधेयक को तैयार करने के लिए बने नोडल अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि एक्ट के प्रारूप पर जनता से पांच जनवरी तक सुझाव मांगा गया था. जनता से लगभग 76 सुझाव प्राप्त हुए थे. इनमें से लगभग 45 सुझाव स्वीकार किये गये हैं.

जो मिले सुझाव

जनता ने राज्य के सभी विभागों को राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में लाने का सुझाव दिया है. इसके अलावा दंड की राशि में और वृद्धि करने का भी सुझाव दिया है. कुछेक लोगों ने तो दंड की राशि 10 हजार से कम नहीं रखने का सुझाव दिया है. इसके अतिरिक्त जनता को एक्ट के प्रावधानों के प्रति जागरूक करने के लिए सभी सार्वजनिक स्थलों यथा पंचायत भवन, विद्यालय भवन, आंगनबाडी केंद्र, थाना भवन, प्रखंड व अंचल कार्यालय भवन, बिजली कार्यालय पर पूरा ब्योरा प्रदर्शित करने का सुझाव है. सुझाव यह भी मिला था कि अगर किसी को प्रमाणपत्र बनवाना है, तो उसके लिए क्या जरूरी कागजात लगेंगे उसकी सूची सभी संबंधित कार्यालयों में टंगे. प्रमाणपत्र के लिए अगर कोई आवेदन दिया जाता है, तो उसकी प्राप्ति रसीद तथा अगर उसे रद्द किया जाता है तो उसके कारणों की जानकारी आवेदक को देने का प्रावधान एक्ट में किया जाये.

भेजा गया प्रारूप

प्रधान सचिव ने बताया कि प्रारूप पर सभी विभागों की सहमति मिल गयी है. अब उसे वैधानिक समीक्षा के लिए विधि विभाग को भेजा गया है. जितने विभागों को इस एक्ट के दायरे में लाने के लिए सुझाव दिये गये हैं उन्हें एक साथ लाना संभव नहीं है. प्रयोग के तौर पर कुछेक विभागों का ही इसमें शामिल किया जा रहा है. इसके सफलता के बाद सभी विभागों को एक्ट के दायरे में लाया जायेगा.

बैठक में थे मौजूद

बैठक में मुख्य सचिव अनूप मुखर्जी, विकास आयुक्त केसी साहा, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार, गृह विभाग के सचिव आमिर सुबहानी, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ए संतोष मैथ्यू, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव डॉ सी अशोक वर्धन, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव गिरीश शंकर, डीजीपी नीलमणि सहित अन्य अधिकारी थे.